**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना**
**(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)**

**आवेदकः–**

राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्तः–**

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह, उम्र 37, जाति– राजपूत
(विक्रेता एवं मालिक)
स्थाई निवासीः–वार्ड नं. 02 ढिगारिया तह. बीदासर जिला चुरू (राज)
हॉल निवासीः– गांव राणासर पो. रसाल तह. कुचामन सिटी जिला नागौर।

फर्मः– मैसर्स जतन मसाला, पुरानी सब्जी मण्डी, कुचामन सिटी।

**प्रकरण संख्याः 05/2019**

**" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं धारा– 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"**

**उपस्थितिः–**

प्रतिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह, उम्र 37, जाति– राजपूत

**–:निर्णय :–**

**दिनांक :– 03 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.09.2018 को समय 11:15 A.M पर फर्मः– मैसर्स जतन मसाला, पुरानी सब्जी मण्डी, कुचामन सिटी जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह, उम्र 37, जाति– राजपूत उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मसाले रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वंय को होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर श्री प्रेमचन्द भाटी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 10.09.2018 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 10. 09.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) की जांच रिपोट संख्या LS/635/Act/2018/654 दिनांक 14.09.2018 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र सिंह से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना Q–1021 Contravention of Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र सिंह को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र सिंह ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जो धारा– 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 20.02.2019 को प्रतिवादी महेन्द्र सिंह ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 07.09.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07.09.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 11:15 A.M पर फर्मः– मैसर्स जतन मसाला, पुरानी सब्जी मण्डी, कुचामन सिटी, जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति महेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह उम्र 37 जाति राजपूत, स्थायी निवासी वार्ड नं. 02 ढिगारिया तह. बीदासर जिला चुरू (राज) उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते लाल मिर्च पाउडर (लूज) आदि खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन किये हुए अकनोलेजमेंट रिसिप्ट मौके पर प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां लगभग 8 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) लौहे के डिब्बें में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लोहे के डिब्बें में रखे लगभग 8 किलो लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 360/– (अक्षरे तीन सौ साठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1021 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र सिंह एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–मैसर्स जतन मसाला, पुरानी सब्जी मण्डी, कुचामन सिटी जिला नागौर विक्रेता मालिक महेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ जाति राजपूत स्थायी निवासी वार्ड नं. 02 ढिगारिया तह. बिदासर जिला चुरू (राज.) से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.09.2018 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री प्रेमचन्द भाटी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 10.09.2018 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 10.09.2018 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/635/Act/2018/654 दिनांक 14.09.2018 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र सिंह से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना Q-1021 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम 2011 विनियम 2.3.14.(15) के तहत खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम 2011 का विनियम 2.3.14(15) इस प्रकार है:–

**2.3.14: Restrictions relating to conditions for sale-**

**(15): No person shall sell powdered spices and condiments Except under packed conditions.**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में,

स्वंय विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा–

धारा 58:–

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लघंन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, जो दायी होगा।–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकःचिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/ 2018/763–64 दिनांक 29.11. 2018 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर Q–1021 अमानक है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः– मैसर्स जतन मसाला, पुरानी सब्जी मण्डी, कुचामन सिटी जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–58 के तहत प्रतिवादी महेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह उम्र 37 जाति राजपूत, स्थायी निवासी वार्ड नं. 02 ढिगारिया तह. बीदासर जिला चुरू (राज) फर्मः– मैसर्स जतन मसाला, पुरानी सब्जी मण्डी, कुचामन सिटी जिला नागौर पर राशि रुपये 16000/– ( अक्षरे रुपये सौलह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 03.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
**न्याय निर्णयन अधिकारी एवं**
**अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना**